अन्तिम डिक्री

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर ऋषभदेव
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट) ग्राम पंचायत चिकला

पीठासीन अधिकारी :– शैलेश सुराणा (RAS)

उनवान

श्री विरेन्द्र प्रकाश (वेला) पिता श्री देवजी मीणा निवासी गुमानपुरा (ढेलाणा), तहसील ऋषभदेव बनाम भूमिधारी तहसीलदार ऋषभदेव

दावा बाबत :– अन्तर्गत धारा 88, RT एक्ट 1955 एवं धारा 136, LR एक्ट 1956
मुकदमा नम्बर :– 185 / 2016 रा.वा.
निर्णय दिनांक :– 23.05.2017

वादी की ओर से श्री विरेन्द्र प्रकाश (वेला) की व प्रतिवादी की ओर से पैरोकार की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 23.05.2017 को **शैलेश सुराणा** (नाम पीठासीन अधिकारी) **उपखण्ड अधिकारी ऋषभदेव** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर– आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि –मौजा गुमानपुरा की जमाबंदी संवत 2069–72 के खाता संख्या 253 में वर्णित कृषि आराजियात कुल किता 35 रकबा 4.54 हेक्टेयर भूमि में वादी का नाम "वेला पिता देवजी मीणा" के बजाय "विरेन्द्र प्रकाश पिता देवजी मीणा" दर्ज किया जावे। तदनुसार राजस्व रेकार्ड में "वेला मीणा" के बजाय "विरेन्द्र प्रकाश मीणा" खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। माफिक घोषणा तहसीलदार ऋषभदेव राजस्व अभिलेख में इन्द्राज करावें।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 23.05.2017 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

23/05/17

(शैलेश सुराणा)
(पीठासीन अधिकारी)
उपखंड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर ऋषभदेव

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	5.00	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	1.00	अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	0	प्लीडर की फीस	
4. ....रूपये पर प्लीडर की फीस	0	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय	0	आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस	0	कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल	1.00		
जोड	7.00	जोड	0.00